2412
29/04/24

Court Notice by bank:	30.04.2024
Spot Notice by bank:	06.05.2024
Date of inspection:	28.05.2024
Date of submission of ID`s and EMD	03.06.2024
E-Auction:	07.06.2024
Report Date:	18.06.2024

फार्म सख्या 13

(आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत)

आर0सी0 सख्ंया: 589 / 2020 आगामी तिथीः 18.06.2024

प्रकरण का उनवानः

एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड बनाम देवी कंस्ट्रक्शन कंपनी

विक्रय की उद्घोषणा

कार्यालय वसूली अधिकारी
ऋण वसूली अधिकरण, पहली मंजिल, सुधरमा–2, लाल कोठी शॉपिंग सेन्टर, किसान भवन के सामने, जयपुर (राजस्थान)
(न्यायालय क्षेत्राधिकार राजस्थान राज्य)

यह कि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर ने 18,19,51,752.30 रूपये (अक्षरे अठारह करोड़ उन्नीस लाख इक्यावन हजार सात सौ बावन एवं तीस पैसे मात्र) एवं ब्याज हर्जा, शुल्क इत्यादि के निर्णित ऋणीगण से वसूली हेतु ओ. ए. नंबर 019 / 2019 दिनांकित 04.02.2020 में वसूली प्रमाण पत्र संख्या 589 / 2020 जारी किया गया है।

एवं यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने बंधक सम्पत्ति को जैसा कि संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए विक्रय का आदेश पारित किया है।

एवं यह कि प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 28.02.2021 तक ब्याज एवं खर्चे सहित कुल 22,25,81,296.96 रूपये (अक्षरे बाईस करोड़ पच्चीस लाख इक्यासी हजार दौ सौ छियानवे एवं छियानवे पैसे मात्र) एवं भविष्य का ब्याज बकाया होते है।

एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि किसी भी स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में उक्त सम्पत्ति प्रमाणपत्रधारी बैंक द्वारा सार्वजनिक ई–नीलामी द्वारा दिनांक 07.06.2024 को प्रातः 11.00 बजे से 03.00 बजे तक **E-auction platform at website-https://www.bankeauctions.com of M/s C1 India Pvt. Ltd., 3rd Floor, Plot No. 68, Sector 44, Gurgaon, 122003, Haryana** पर विक्रय की जायेगी। उक्त वेबसाइट से सम्बन्धित अन्य किसी जानकारी के लिए मि. भाविक पाण्डया (मोबाईल नम्बर 8866682937, +91 7291891124 / 25 / 26) से संपर्क करना होगा।

अन्य जानकारी के लिए बैंक अधिकारी श्री कैलाश शर्मा (मोबाईल नम्बर 9214089244) से सम्पर्क करना होगा।

यह कि उपरोक्त व्यतिक्रमी की सम्पत्ति का विक्रय जिसका नाम नीचे दी गई अनुसूची में दिया गया है, का होगा एवं उक्त सम्पत्ति पर दायित्व एवं क्लेम जो अभिनिश्चित किए गए है, वो प्रत्येक लॉट के सामने अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। सम्पत्ति "जैसी है, जहां है एवं जैसी स्थिति में है" के आधार पर विक्रय की जायेगी।

वसूली अधिकारी–I
ऋण वसूली अधिकरण
जयपुर

सम्पत्ति का विक्रय अनुसूची में दिये गये लॉट के अनुसार किया जायेगा सम्पत्ति के संदर्भ में विक्रय तुरंत रोक दिया जावेगा यदि किसी भी लॉट का विक्रय शुरू करने से पूर्व उक्त प्रमाण पत्र में वर्णित बकाया ब्याज लागत (विक्रय की लागत सहित) विक्रय निष्पादित करने वाले अधिकारी को सौंपी जाती है या उसकी संतुष्टि हेतु प्रमाण पत्र दिया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र की राशि ब्याज व लागतों का भुगतान अद्योहस्ताक्षरकर्ता को कर दिया गया है तो विक्रय रोक दिया जावेगा।

विक्रय में सामान्यतया आम जनता को स्वयं अथवा उसके किसी प्राधिकृत अभिकर्ता को आमंत्रित किया जाता है। कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस विक्रय के संबंध में अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, किसी भी रूप में इस संपत्ति के विक्रय में, बोली में अथवा अधिग्रहण में या अधिग्रहण के प्रयास में हिस्सा नहीं लेगा।

यह विक्रय आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में वर्णित शर्तो एवं इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों एवं निम्नलिखित अन्य शर्तो की अध्यधीन होगा–

1. संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट ब्यौरा अद्योहस्ताक्षरकर्ता की श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार लिखे गये है। लेकिन अद्योहस्ताक्षरकर्ता इस उद्घोषणा के किसी भी गलत कथन, त्रुटि एवं चूक के लिये जवाब देह नहीं होगा।

2. सम्पत्ति संख्या 7 का आरक्षित मूल्य रूपये 85.40 लाख होगा एवं सम्पत्ति संख्या 8 का आरक्षित मूल्य रूपये 87.11 लाख होगा जिससे कम में सम्पत्ति विक्रय नहीं की जावेगी।

3. सम्पत्ति की बोली बढ़ाने की राशि क्रमशः 50,000 के गुणांक में होगी।

4. बोलीदाता को धरोहार राशि के रूप में आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत राशि का वसूली अधिकारी के पक्ष में देय जरिये आर.टी.जी.एस अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराना होगा जिसका Account No. 50200074019804, Name of the Bank: HDFC Bank Ltd., Sodala, Jaipur, IFSC Code: HDFC0001843 है एवं पेन कार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि, पते का सबूत एवं प्राधिकार पत्र, यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था की ओर से नीलामी में भाग ले रहे है, प्रस्तुत करने होंगे।

5. अगर उच्चतम बोलीदाता विधिक रूप से बोली लगाने के योग्य है एवं उसके द्वारा लगायी गयी बोली आरक्षित दर से कम नहीं है तो उसे क्रेता घोषित कर दिया जायेगा। अद्योहस्ताक्षरकर्ता को जब ऐसा लगता है कि मूल्य स्पष्ट रूप से सभी खर्चो की क्षतिपूर्ति के लिए अपर्याप्त है तो उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करना उसके विवेकाधीन होगा।

6. लिखित कारणों से विक्रय करने वाले अधिकारी को आयकर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के प्रावधानों के अधीन विक्रय को स्थगित करने का अधिकार होगा।

7. चल सम्पत्ति के मामले में वह व्यक्ति जिसे क्रेता घोषित किया गया है, ऐसी घोषणा होने के तुरंत बाद उसकी बोली की संपूर्ण राशि उस अधिकारी के पास जो विक्रय का संचालन कर रहा है, जमा करानी होगी और उक्त राशि जमा कराने में व्यतिक्रम करने पर उक्त सम्पत्ति पुनः विक्रय के लिए रखकर विक्रय की जावेगी।

8. अचल सम्पत्ति के मामले में वह व्यक्ति जिसे क्रेता घोषित किया गया है, ऐसी घोषणा होने के तुरंत बाद उसकी बोली की 25 प्रतिशत राशि धरोहर राशि को समायोजित करते हुये वसूली अधिकारी के पास जो विक्रय का संचालन कर रहा है, के पक्ष में जरिये आर.टी.जी.एस. अथवा देय डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराना होगा जिसका Account No. 50200074019804, Name of the Bank: HDFC Bank Ltd., Sodala, Jaipur, IFSC Code: HDFC0001843 है और उक्त राशि जमा कराने के व्यतिक्रम करने पर उक्त सम्पत्ति पुनः विक्रय के लिए रखकर विक्रय की जावेगी एवं नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि नीलामी तिथि से 15

वसूली अधिकारी–I
ऋण वसूली अधिकरण
जयपुर

दिवस के भीतर केता द्वारा वसूली अधिकारी के पक्ष में जरिये आर.टी.जी.एस. अथवा देय डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराना होगा जिसका Account No. 50200074019804, Name of the Bank: HDFC Bank Ltd., Sodala, Jaipur, IFSC Code: HDFC0001843 है जिसमें नीलामी का दिन या 15वां दिन सम्मिलित नहीं होगा। उपरोक्त समयावधि में भुगतान ना होने पर, उक्त सम्पत्ति का पुनः विक्रय नई उद्घोषणा जारी करके किया जायेगा। उस स्थिति में व्यतिक्रमी के द्वारा जमा राशि को अद्योहस्ताक्षरकर्ता यदि उचित समझता हो तो विक्रय के खर्चे समायोजित किए जाने के पश्चात् जप्त सरकार कर ली जावेगी एवं उस स्थिति में केता के उक्त सम्पत्ति के संबंध में या राशि के किसी भाग के संबंध में प्राप्त समस्त अधिकार जब्त हो जायेंगें सफल बोलीदाता को प्रथम एक हजार रूपये पर 02 प्रतिशत एवं उसके बाद शेष राशि पर 01 प्रतिशत की दर से पाउण्डेज फीस का भुगतान करना होगा।

9. प्रमाणपत्रधारी बैंक के द्वारा इच्छुक बोलीदाता को सम्पत्ति के निरीक्षण की अनुमति दी जावेगी जिसके लिए इच्छुक बोलीदाता मौके पर संपत्ति का निरीक्षण कर सकते है। नोडल ऑफिसर इच्छुक बोलीदाता को सुबह 10:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक सम्पत्ति का निरीक्षण करवाएंगे।

10. यदि इच्छुक बोलीदाता इन्टरनेट के जरिये बोली न लगा सकते है तो वे नोडल अधिकारी/सेवाप्रदाता के माध्यम से नीलामी में भाग ले सकते है।

11. प्रस्तावित बोलीदाता सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सम्पर्क व्यक्ति श्री भाविक पाण्ड्या मोबाईल नम्बर 8866682937, 7291891124/25/26), तीसरी मंजिल, प्लॉट नम्बर 68, सेक्टर 44, गुड़गांव 122003, हरियाणा नीलामी की वेबसाईट www.bankeauctions.com (फोन नम्बर 8866682937) के ऑनलाईन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते है।

12. अमानत राशि जमा कराये जाने एवं पंजीयन की अन्तिम तिथि ०3.०६.२५ को 3 बजे सायं तक है।

13. ऑनलाईन नीलामी सेवाप्रदाता सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सम्पर्क व्यक्ति श्री भाविक पाण्ड्या मोबाईल नम्बर 8866682937, 7291891124/25/26), तीसरी मंजिल, प्लॉट नम्बर 68, सेक्टर 44, गुड़गांव 122003, हरियाणा के द्वारा दिनांक 07. 06.2024 को प्रातः 11 बजे से सायं 3 बजे तक सम्पादित की जावेगी। यदि नीलामी की राशि 3 बजे के उपरान्त 10 मिनट के पश्चात् भी नहीं बढ़ाई जाती है तो नीलामी को स्वीकार कर दिया जाएगा किन्तु यदि बोली पुनः बढाई जाती है तो नीलामी को 10 मिनट और बढा दिया जाएगा।

14. धरोहर राशि का भुगतान असफल बोलीदाताओं को उसी दिन HDFC बैंक के द्वारा किया जायेगा।

सम्पत्ति का विवरण :

प्लॉट की सख्या	अन्य सह मालिको का नाम सहित बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण जहाँ सम्बन्धित व्यक्तिक्रमी जो किसी अन्य व्यक्ति से सह–मालिक है	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्याकंन किया गया है।	किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है	विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के संबंध में आगे आया हे एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियों जो कि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	**"Property No. 7 – All the part and partial of**	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं

वसूली अधिकारी–I
ऋण वसूली अधिकरण
जयपुर

	Residential Plot bearing No. 115A, North Part, Anandji Vihar Scheme No. 9, Sirsi Road, Jaipur measuring 204 sq. mtr." "Property No. 8 – All the part and partial of Residential Plot bearing No. 115, South Part, Anandji Vihar Scheme No. 9, Sirsi Road, Jaipur measuring 204.37 sq. mtr."			

मेरे हस्ताक्षर एवं सील द्वारा दिनांक 29/04/24 को जारी किया गया।

ऋण वसूली अधिकारी
ऋण वसूली अधिकरण,
जयपुर

वसूली अधिकारी–I
ऋण वसूली अधिकरण
जयपुर

ऋण वसूली अधिकरण जयपुर
Debts Recovery Tribunal